

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 647]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2018—पौष 3, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2018

क्र. बी-8-8-2018-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2018-19 के लिये संलग्न सूची अनुसार जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

प्रति हेक्टेयर स्केल आफ फायनेंस (अल्पकालिक फसल ऋणमान) रबी 2018-19
(राशि रु. में)

क्र.	जिला	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई सरसों	अलसी	मसूर	बैठक दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	शिवपुरी	36000	25800	35000	26000	22000	26000	20-03-2018
2	मंदसौर	54000	30000	35000	30000	25000	30000	07-03-2018
3	रतलाम	54000	18300	35000	21000	21000	25600	25-09-2017
4	अलीराजपुर	35000		25000				22-05-2017
5	कटनी	36000	25000	34000	20000	20000	21700	27-03-2018
6	सिवनी	25000	17000	22500	15400	12600	16500	28-10-2018
7	धार	35000	15000	0	0	0	0	17-07-2017

1293